ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017 दिनांक: 17 अप्रैल, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: पहली बार बने निर्वाचकों पर फोकस करते हुए छूटे हुए निर्वाचकों को पंजीकृत करने का विशेष अभियान (18-21 वर्ष के आयु वर्ग में युवा भारतीय नागरिक)-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग, निर्वाचक नामावलियों की अशुद्धियों को दूर करने और पात्र निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण को उच्चतम सीमा तक ले जाने के लिए केन्द्रित प्रयासों द्वारा निर्वाचक नामावली की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस संबंध में, वर्ष 2015 में आयोग ने एक राष्ट्रव्यापी व्यापक कार्यक्रम नामत: नरपैप का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य एपिक डाटा को निर्वाचकों के आधार,मोबाइल संख्या और ई-मेल से लिंक करके त्रुटिरहित और प्रामाणिक निर्वाचक नामावली बनाना था। वर्ष 2016 में एनईआरपी नामक इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके दो उद्देश्य निर्वाचक नामावलियों को परिशुद्ध करना तथा सेक्शनों, मतदान केन्द्रों एवं पार्ट बाउंड्रियों का मानकीकरण करना था। इस वर्ष, 'कोई मतदाता न छूटे' सूत्र वाक्य के अनुरूप आयोग ने सभी राज्यों में विशेष अभियान का शुभारंभ करके, विशेषत: 18-19 वर्ष की आयु के पात्र युवा निर्वाचकों के पंजीकरण को उच्चतम सीमा तक ले जाने के लिए सतत अद्यतनीकरण की अवधि का सदुपयोग करने का निर्णय लिया है।

2. विशेष अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियां और विशेष अभियान की अवधि निम्नलिखित अनुसार होगी:-

(क) **विशेष अभियान की अवधि:** (01 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017): विशेष अभियान का **01 जुलाई, 2017** से शुभारंभ किया जाएगा और इसे 31 जुलाई, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तथापि, उससे पहले जून, 2017 के महीने का तैयारियों से सम्बन्धित कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा जबकि वास्तविक कार्य 01 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होगा।

(ख) **विशेष अभियान हेतु तैयारियों से सम्बन्धित कार्य: कमियों की पहचान करना एवं कार्यनीतियों को अंतिम रूप देना:**

(i) सीईओ/डीईओ/ईआरओ अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के संबंध में फार्मेट 1-8 के सम्बन्ध में आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे ताकि निर्वाचक/जनसंख्या अनुपात, पुरूष-महिला अनुपात, आयु वर्ग असन्तुलन विशेष रूप से 18-19 वर्ष के आयु वर्ग में, जैसी बड़ी कमियों का पता लगाया जा सके। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह विश्लेषण उचित सावधानी एवं तत्परता से किया जाना चाहिए। इस स्थिति के बेहतर मूल्यांकन के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए और चार्ट इत्यादि का प्रयोग करके इसकी तुलना चालू वर्ष के आंकड़ों से की जानी चाहिए। ऐसा विश्लेषण अधिमानत: माइक्रो स्तर अर्थात् मतदान केन्द्र स्तर पर किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उन क्षेत्रों का पता चलेगा जहां कमियां हैं। वर्ष 2017 के लिए जनसंख्या अनुमान, वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(ii) विश्लेषणात्मक अध्ययन और बीएलओ तथा पर्यवेक्षकों से परामर्श के आधार पर महत्वपूर्ण कमियों का निर्धारण कर लिए जाने तथा उनके ठोस कारणों का पता लगाने के उपरान्त, ईआरओ अपनी टिप्पणी तैयार करेंगे तथा उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजेंगे जो इन कमियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान के दौरान अंगीकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यनीति सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को समग्र विश्लेषणात्मक नोट भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला-वार रिपोर्टों की समीक्षा एवं उनका विश्लेषण करने के पश्चात राज्यीय विश्लेषणात्मक नोट तैयार करेंगे और विशेष कमियों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक कार्यनीति तैयार करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग के सूचनार्थ नोट भेजेंगे। कमियों की पहचान करने और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए कार्यनीति का निर्धारण 30 जून, 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए ताकि वास्तविक कार्य निर्धारित तारीख अर्थात् 01 जुलाई, 2017 को शुरू किया जा सके।

(ग) विशेष अभियान की गतिविधियां:

(I) 18-19 वर्ष के आयु समूह(21 वर्ष की आयु तक विस्तारणीय) के छूट गए पात्र मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए, आवेदकों से प्ररूपों को प्राप्त करना एवं उन्हें प्रस्तुत करना।

(i) विशेष अभियान के दौरान प्ररूप को प्रस्तुत करने के निम्नलिखित विद्यमान तरीके, आम तौर पर नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगे:-

- ईआरओ कार्यालय में प्ररूप-6 प्रस्तुत करना।

- डाक द्वारा प्ररूप-6 को भेजना।
- एनवीएसपी में प्ररूप-6 को ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत करना।
- सीएससी पर ऑनलाइन प्ररूप-6 प्रस्तुत करना।

इसलिए, विशेष अभियान के दौरान इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी:-

- **बीएलओ का घर-घर जाना:** बीएलओ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों से 01 जुलाई, 2017 और 31 जुलाई, 2017 (विशेष अभियान तारीखों को छोड़कर) की अवधि के दौरान आवेदकों, विशेषत: 18-19 आयु वर्ग(21 वर्ष की आयु तक विस्तारणीय) से प्ररूप-6 इकट्ठे करने के लिए घर-घर जाएंगे। बीएलओ को पर्याप्त संख्या में प्ररूप-6 उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ताकि प्ररूपों को भराया जा सके और बीएलओ के घर-घर जाने के समय अपंजीकृत आवेदकों से प्राप्त किया जा सके।

- **मोबाइल एप:** मतदाता सेवाएं मोबाइल एप, मतदाताओं और नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मोबाइल एप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रयोक्ता मोबाइल एप, का प्रयोग करते हुए प्ररूप को भर सकता है। अन्य नागरिक सेवाएं यथा निर्वाचक सर्च, प्ररूप की स्थिति के संबंध में पता लगाने इत्यादि को इसमें जोड़ा गया है। मोबाइल एप जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, के माध्यम से प्राप्त आवेदन मोबाइल एप के रूप में ही माने जाएंगे और किसी अन्य प्लेटफार्म जैसे एनवीएसपी और ईआरओ-नेट पर उपलब्ध आवेदनों को उनके साथ नहीं मिलाया जाएगा।

- **राष्ट्रीय कॉल सेंटर(एनसीसी):** आयोग ने नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय कॉल सेंटर के अनुरूप ही '1950' में सुधार करके राज्य स्तर पर (एससीसी) और जिला स्तर पर जिला संपर्क केन्द्र(डीसीसी) उपलब्ध कराएंगे। एनसीसी/एससीसी/डीसीसी पर फोन करने वाले नागरिकों को उपरोक्त विधियों के माध्यम से प्ररूप प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इन विधियों से अपने प्ररूप जमा नहीं करा पाए हों वे अपने क्षेत्र में सामान्य सेवा केन्द्र(सीएससी) ग्रामीण स्तरीय उद्यमी(वीएलई), यदि उपलब्ध है तो, की सशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई निशक्त व्यक्ति जो उपरोक्त सेवाओं का प्रयोग नहीं कर पाया हो, इनमें से किसी एक केन्द्र पर यदि फोन करता है तो उसे कॉल सेंटर पर अपना पता और टेलीफोन नम्बर देने के लिए कहा जाता है ताकि संबंधित सूचना संबंधित ईआरओ को भेजी जा सके जो दिए गए पते पर संबंधित बीएलओ की विजिट की व्यवस्था करेंगे ताकि प्ररूप को भरवाया जा सके और भरे हुए

प्ररूप को उस व्यक्ति से आगे की कार्रवाई के लिए वापिस ले लिया जाएगा। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

- **सशुल्क सेवाएं:** सामान्य सेवा केन्द्र, प्ररूप को ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत करने तथा भुगतान आधार पर ऑफलाइन रूप से प्राप्त प्ररूपों की डिजीटाइजेशन संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। भरे हुए प्ररूपों को ईआरओ द्वारा डाउनलोड किया जाएगा और उनका फील्ड सत्यापन करने हेतु तथा हस्ताक्षर लेने के लिए संबंधित बीएलओ को सौंपा जाएगा। तब ईआरओ इस प्रकार कार्रवाई करेंगे जैसे आफॅलाइन रूप से प्राप्त प्ररूपों पर कार्रवाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ii) **विशेष अभियान तारीखें:** विशेष अभियान को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सुविधानुसार किन्हीं भी दो दिनों अर्थात् 08 जुलाई और 22 जुलाई, 2017 या 09 जुलाई और 23 जुलाई, 2017 को आयोजित किया जा सकता है। इन तारीखों को उस प्रत्येक मतदान केन्द्र में कैम्प लगाए जाएंगे जहां बूथ लेवल अधिकारी आवेदकों से प्ररूप प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्ररूप-6 अपने साथ लेकर बैठेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी प्रेस कांफ्रेस में शिविरों की तारीखों के संबंध में घोषणा करेंगे और सभी संभव साधनों के माध्यम से उनका व्यापक प्रचार करेंगे। शिविर के दिन संपूर्ण अंतिम निर्वाचक नामावली, 2017 को इसके अनुपूरकों सहित, यदि कोई है, को मतदान केन्द्रों की दीवारों पर चिपकाया जाएगा ताकि नागरिक विद्यमान निर्वाचक नामावली में अपना नाम आसानी से ढूंढ सकें। उस दिन बीएलओ द्वारा नामावली को सार्वजनिक रूप से पढ़ कर भी सुनाया जाएगा। छूट गए पात्र मतदाता प्ररूप-6 भरेंगे और उसे मतदान केन्द्र में ही बीएलओ को देंगे या विशेष अभियान के दौरान उपलब्ध अन्य साधनों के माध्यम से इसे जमा कराएंगे। ये शिविर उसी उत्साह से आयोजित किए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ऐसे विशेष शिविर 01 जुलाई, 2017 और 31 जुलाई, 2017 के मध्य कम से कम किन्हीं दो विविध दिवसों पर सभी सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों(कॉलेजों और स्कूलों)/ वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थानों (यथा आईटीआई, बी.एड कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और पॉलीटेक्निक कॉलेजों इत्यादि) में भी आयोजित किए जाने चाहिएं।

(iii) **केवल ईआरओ-नेट पर प्ररूपों पर कार्रवाई:** विशेष अभियान के दौरान उपर्युक्त किसी भी माध्यम द्वारा प्राप्त सभी प्ररूप-6 पर केवल ईआरओ नेट पर ही कार्रवाई की जाएगी। ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त फॉर्मों का पहले एनवीएसपी पर डिजीटाइजेशन किया जाएगा फिर ईआरओ नेट पर कार्रवाई की जाएगी।

(iv) **प्ररूपों का निपटान:** ईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्ररूपों का निपटान उनकी प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के अंदर कर लिया जाए।

(II) **मृत निर्वाचकों के नामों को हटाना:** विशेष अभियान के दौरान की जाने वाली दूसरी गतिविधि है- मृत निर्वाचकों के नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाना। ऐसे मृत निर्वाचकों की पहचान के लिए, पंजीकृत मृत्यु पर मृत्यु रजिस्ट्रार से डाटा एकत्रित किया जाएगा। विशेष अभियान के दौरान सभी पंजीकृत मृत्यु की प्रविष्टियों को हटा दिया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को मृत्यु रजिस्ट्रार तथा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने या दाखिल खारिज करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के निरन्तर सम्पर्क में रहना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन कार्यालयों में प्ररूप 7 की पर्याप्त प्रतियां रखनी चाहिएं तथा समय-समय पर भरे हुए प्ररूपों को एकत्रित किए जाने का प्रबंध करना चाहिए। मृत निर्वाचकों के मामले में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त मृत्यु प्रमाण-पत्र या संबंधित निर्वाचक के निकटतम संबंधियों/निकटतम पड़ोसियों से प्राप्त प्ररूप 7 या उस क्षेत्र में निवास करने वाले कम से कम दो व्यक्तियों के बयान से बीएलओ द्वारा सम्यक रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर उनके नाम हटा सकता है। इस मामले में और अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है। पंजीकृत मृत निर्वाचकों के नाम तथा प्ररूप 7 के माध्यम से दर्ज की गई मृत्यु के मामलों का विलोपन सम्यक प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात ही किया जाएगा।

(III) इस अवधि के दौरान प्राप्त प्ररूप-7(मृत्यु के मामले को छोड़कर), प्ररूप 8 तथा 8क का निपटान विशेष अभियान के बाद ही किया जाएगा।

(घ) प्रचार तथा इससे संबंधित मामले:

सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम पंजीकृत करवाने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निर्वाचकों विशेषकर 18-19 वर्ष के आयु समूह के पात्र युवा निर्वाचकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभावित माध्यमों के द्वारा एक व्यापक प्रचार अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रचार अभियान 1 जून, 2017 को आरंभ होगा और 31 जुलाई, 2017 तक जारी रहेगा।

(ड.) राजनीतिक दलों के साथ बैठक तथा बीएलए की नियुक्ति:

विशेष अभियान के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य/जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करेंगे ताकि निर्वाचकों, विशेषकर युवा निर्वाचकों के पंजीकरण को अधिक से अधिक बढ़ाने में उनका सहयोग प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध किया जाए कि वे विशेष अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों की मदद करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल अभिकर्ताओं(बीएलए) की नियुक्ति करें। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के द्वारा नामित सभी बीएलए को इस अभियान का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाए। यह उन्मुखीकरण कार्यक्रम जून, 2017 के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

(च) शिकायत निवारण:

उपयुक्त आईटी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक दलों से प्राप्त शिकायतों या किन्हीं अन्य पणधारियों से प्राप्त शिकायतों का सम्यक रूप से निपटान कर दिया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई के पश्चात संबंधित को उपयुक्त उत्तर दे दिया जाएगा। जिला निर्वाचन आधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं दिए गए जवाबों का समुचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

(छ) प्रशिक्षण:

विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बीएलओ स्तर तक के सभी निर्वाचन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण/ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस अभियान के दौरान उद्देश्यों तथा किए जाने वाले क्रियाकलापों पर एक पुस्तिका तैयार करेंगे तथा सभी पणधारियों के लिए प्रभावी प्रचार सामग्री विकसित करेंगे।

(ज) अनुवीक्षण:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विशेष अभियान के समाप्त होने तक इसके दिन-प्रतिदिन की प्रगति पर कड़ी नजर रखेंगे। एनसीसी/एससीसी/डीसीसी पर प्राप्त किए गए सभी प्रश्नों/अनुरोधों का कस्टमर रिक्वेस्ट मैनेजमेन्ट(सीआरएम) के माध्यम से अनुवीक्षण किया जाएगा।आवश्यक सुपर जांच ईसीआई के दिशानिर्देशानुसार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन अधिकारियों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ईसीआई बेवसाइट पर विशेष रूप से इस विशेष अभियान के लिए डैशबोर्ड पर प्रतिदिन अपेक्षित सूचना अपलोड की जाए। निम्नलिखित सूचना एनवीएसपी पर उपलब्ध होगी ताकि सभी संबंधितों द्वारा इसका अनुवीक्षण किया जा सके:

- **प्राप्त किए गए तथा निपटान किए गए आवेदनों की स्थिति:** प्ररूपों का निपटान ईआरओ-नेट पर किया जाएगा, तथापि, नागरिक एनवीएसपी पर आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं एवं इसकी स्थिति देख सकते हैं।
- **प्रोसेसिंग की गुणवत्ता:** फार्मों के निरस्त होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- **विलोपन:** विलोपन की तिथि तथा कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- **समयबद्ध तरीका:** ईआरओ-नेट पर सभी क्रियाकलापों पर समय तथा तारीख की मुहर लगी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये समयबद्ध तरीके से किया गया है।

3. विशेष अभियान के दौरान सम्पूर्ण कार्य निम्नानुसार समय-सीमा के भीतर किया जाएगा:-

- 1 जून, 2017 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रेस सम्मेलन।
- अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के संचालन के लिए पुस्तकों और प्रचार सामग्री इत्यादि की तैयारी 14 जून, 2017 तक पूरी कर ली जाए।
- 1 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाने का कार्य किया जाएगा।
- 31 जुलाई, 2017 तक प्राप्त प्ररूपों का निपटान 31 अगस्त, 2017 तक किया जाएगा।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना ईसीआई वेबसाइट के डैशबोर्ड पर प्रतिदिन अपलोड की जाती है और आयोग के निदेशों का समय-समय पर पालन किया जाता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी विशेष अभियान पर प्राथमिकता आधार पर प्रत्येक सोमवार को (1 जून, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक के मध्य) आयोग में संबंधित राज्य के प्रभारी सचिव को साप्ताहिक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भेजेंगे।

5. कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव